न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आरएएस

प्रकरण संख्या– 13 /2019/पत्थरगढी

1. खुदाबक्स पुत्र स्व. नवाब जाति तेली (मुसलमान) निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रार्थी

बनाम

1. गोपाल पुत्र बालूराम जाति ब्राह्मण निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अप्रार्थीगण

आवेदन बाबत पत्थरगढी अंतर्गत धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत वकील प्रार्थी की ओर सें।
2. श्री शिवपाल सिंह वकील अप्रार्थी सं0 1 की ओर सें।

निर्णय

दिंनाक :– 05.08.2019

1. आवेदन का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि प्रार्थी के हक अधिकार, स्वामित्व, एवं एकल खातेदारी की भूमियां खसरा नम्बर 944 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 945 रकबा 0.29 है0, ख0नं0 964 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 965 रकबा 1.17 है0, ख0नं0 966/2 रकबा 0.82 है0, ख0नं0 967 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 968 रकबा 0.26 है0 किता 7 कुल रकबा 2.68 हैक्टर वाके ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। विवादित भूमियों का सींवाजोड़ पड़ौसी खातेदार काश्तकार अप्रार्थी सं0 1 गोपाल पुत्र बालूराम है जिसकी भूमियों के खसरा नम्बर 971 रकबा 0.83 है0 एवं 972 रकबा 0.31 है0 किता 2 कुल रकबा 1.14 हैक्टर है। प्रार्थी गरीब, अतिवृद्ध व्यक्ति है जिसकी

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

विपरीत परिस्थितियों का नाजायज फायदा उठाकर उसकी उपरोक्त भूमियों को हड़पने की नियत सें अप्रार्थी सं0 1 ने आये दिन नींवसींव के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। जिससें परेशान होकर सहमति सें सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने की बात कही तो पहले तो अप्रार्थी सं0 1 ने सहमति जाहिर कर दी फिर जैसे ही उसको जानकारी हुई कि प्रार्थी की भूमियों का रकबा मौके पर पूरा नहीं है तथा उसका खेत खसरा नम्बर 971, 972 में प्रार्थी की भूमि दबी हुई है तो अप्रार्थी स्पष्ट इंकार हो गये। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ने अपने उक्त दोनों खेतों की सीमा का विवाद खत्म करने के लिए आपसी सहमति से दिनांक 22.05.2015 को ही तहसीलदार दांतारामगढ के आदेश दिनांक 22.05.2015 की पालना में पटवारी हल्का खाटूश्यामजी द्वारा दोनों खातेदारों की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया जा चुका है। सीमाज्ञान के पश्चात पत्थरगढी करने हेतु इंकार करने पर आवेदन पेश किया गया है। अंत में आवेदन पेश कर यह इस्तदुआ चाही गई कि विवादित भूमियों की मौके पर पत्थरगढी की जाकर पुख्ता सीमा चिन्ह कायम करने के आदेश प्रदान किये जावे।

2. आवेदन पेश होने पर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्राथी सं0 1 की ओर सें वकील श्री शिवपाल सिंह उपस्थित आये तथा जवाब आवेदन पेश किया। आवेदन बाबत पत्थरगढी अंतर्गत धारा 111 एलआर एक्ट पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी/आवेदन ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की जमीन एकल खातेदारी की है तथा सीमाज्ञान किया जा चुका है। मुताबिक सीमाज्ञान के पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाये। वकील अप्रार्थी सं0 1 ने दौराने बहस जवाब आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आवेदन में वर्णित सीमाज्ञान की अप्रार्थी को कोई जानकारी नहीं है तथा प्रार्थी/आवेदन द्वारा पेश फर्द सीमाज्ञान में कहीं भी स्पष्ट अंकन नहीं है कि कौनसे खातेदार ने कोनसी दिशा में कितनी जमीन दबा रखी है अप्रार्थी सं0 1 को हैरान व परेशान करने के लिए प्रार्थी द्वारा झूठा आवेदन पेश किया गया है तथा अप्रार्थी सं0 1 गोपाल की भूमि खसरा नम्बर 971, 972 किता 2 कुल रकबा 1.14 हैक्टर अप्रार्थी सं0 1 की एकल खातेदारी की भूमि है जिसकी रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश भी पारित है अतः प्रार्थी का आवेदन खारिज फरमाया जावे।

3. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। **प्रार्थी द्वारा पेश सीमाज्ञान रिपोर्ट के अवलोकन सें स्पष्ट है कि सीमाज्ञान रिपोर्ट अधूरी एवं स्पष्ट है एवं**

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

रिपोर्ट में कही भी दूरी का उल्लेख नहीं है। अतः प्रार्थी का आवेदन अंतर्गत धारा 111 एलआर एक्ट अस्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार दांतारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि पुनः सीमाज्ञान करावें। वादी/प्रार्थी पुनः सीमाज्ञान के बाद पत्थरगढी हेतु नया वाद लाने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर सें कम व दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

Scanned by CamScanner